संख्या- 36 /2018/ 1136/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2007 टी0सी0(1)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, जवाहर भवन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2018

विषयः ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रू0 21,98,73,000 में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण जलापूर्ति के निर्माण कार्यों हेतु रू0 89.96 लाख की धनराशि का आहरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1303/ अड़तीस-5-2009-27 बजट/ 2007 टी0सी0 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू0 21,98,73.000 की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी गयी है। उसका आहरण वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।

2- उक्त के क्रम में अपर आयुक्त, वित्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1354/ कार्यक्रम अनुभाग/ पेयजल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ 2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 एवं मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या- 149/2042-0072/2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि में से अवशेष बची धनराशि रू0 89.96 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- संदर्भित मामले में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-149/ 2042-0072/ 2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 द्वारा किये गये अनुरोध तथा आपके पत्र संख्या- 1354/ कार्यक्रम अनुभाग/ पेयजल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ 2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-1303/ अड़तीस-5-2009- 27 बजट/2007टी0सी0 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश में से रू0 21,08,77,000.00 (रूपये इक्कीस करोड आठ लाख सत्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि आहरित होने के उपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में अवशेष बची धनराशि कुल रू0 89.96 लाख (रूपये नवासी लाख छानबे हजार मात्र) निम्न शर्तो के अधीन आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जिस खाते में धनराशि जमा की जायेगी, यदि उस खाते में कोई व्याज अर्जित होता है, उसे प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) उक्त धनराशि कोषागार/ बैंक से धनराशि आहरण से सम्बिन्धित व्यय पत्र (बाउचर्स) की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को तत्काल भेजा जाना वांछनीय है।

(5) प्रश्नगत धनराशि को अनिवार्यत: उसी मद में व्यय किया जाय, जिसके सापेक्ष वह स्वीकृत है। इस धनराशि को किसी अन्य मद पर कदापि व्यय न किया जाय तथा किसी व्यय के लिए यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तो ऐसा व्यय शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को डाकघर /पी0एल0ए0 में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का आहरण वित्त विभाग द्वारा प्राविधानित नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(7) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों से विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि इसकी सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को दें।

(8) धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) धनराशि का व्यय अनुमोदित कार्यो हेतु सम्बन्धित गाइड लाइन एवं वित्तीय नियमों के अधीन अनुमन्य होगा।

(10)धनराशि के व्यय हेतु किसी भी प्रकार का व्यायावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-490/ दस-2009, दिनांक 31 मार्च,2009, संख्या-1303/38-5-09-27 बजट/ 07 टी0सी0 (अ), दिनांक 31 अगस्त, 2009 तथा समय-समय पर संगत अन्य शासनादेशों में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0 ओ0- ई-2-440/दस -2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 36 /2018/ 1136 (1)/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2007 टीसी (1), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(7) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
(9) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या- 149/2042-0072/2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 के क्रम में।
(10)अपर आयुक्त, वित्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1354/ कार्यक्रम अनुभाग/ पेयजल/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र/ 2017-18, दिनांक 27 मार्च, 2018 के क्रम में।
(11)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।